राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

*****

28 MAY 2019

क्रमांकः प॰ 5(8)प्राशि/2016 जयपुर, दिनांकः 28 MAY 2019

1. आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2018 के द्वारा आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर कम विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 21.04.2016 एवं 24.06.2016 तथा अन्य के **अतिक्रमण** में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद संवर्गित है। वर्ष 2016–17 में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन की प्रक्रिया में वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰16(3)शिक्षा–2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न **परिशिष्ट–1**) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में संभागवार वितरण संलग्न **परिशिष्ट–2** तथा जिलेवार वितरण संलग्न **परिशिष्ट–3** के अनुसार किया गया। उक्त क्रम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰16(3)शिक्षा–2/2011 दिनांक 16.10.2015 (संलग्न **परिशिष्ट–1**) के अनुसार हैडटीचर/संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य) में आनुपातिक रूप से संभागवार वितरण **परिशिष्ट–2** तथा जिलेवार वितरण **परिशिष्ट–3** पुनर्निर्धारित किया जावें।

2. पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रथमतः वर्ष 2016–17 में एवं तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 02 वर्ष में की जायेगी। मानदण्डों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाईम नामांकन को आधार माना जावेगा। तद्नुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो, उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।

(नोटः–यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नांमांकन को आधार रखा जायेगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जावेगा।)

3. प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जावेगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जावेगा :–

a. जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/एकीकृत माध्यमिक/एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था–प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था–प्रधान/हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा।

b. जिन एकीकृत माध्यमिक/एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैडटीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हैडटीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

c. 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा।

d. नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) के पदसामान्य विषय (50 प्रतिशत) एवं सामाजिक विज्ञान विषय (50 प्रतिशत) के निर्धारित/आवंटित किये जायेंगे।

e. **बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट–3 पर आवंटित** विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुये क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात इन विद्यालयों को नामांकन के घटते हुए क्रमानुसार **बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संलग्न पुनर्निर्धारित परिशिष्ट–3 पर आवंटित** विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा तक {बिन्दु संख्या 3(a), 3(b), 3(c) एवं 3(d) पर आवंटित पदों को कम करते हुए} वरिष्ठ अध्यापक के पदों का निम्नलिखित विषयों के क्रम में आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जावेगा –

1. सामाजिक विज्ञान
2. अंग्रेजी
3. गणित
4. विज्ञान
5. हिन्दी
6. तृतीय भाषा
7. सामान्य विषय

नोट– उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिन्दी व संस्कृत का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंति विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय–उर्दु, पंजाबी, सिंधी व गुजराती का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है।

4. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधार (BASE) स्वीकृत पदों (अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2 एवं शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III)) एवं स्वीकृत पदों का संबंध निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

आधार (BASE) स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
01	02
अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1	ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल–1, प्रबोधक लेवल–1, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1
अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2	विशेष शिक्षक लेवल–2, प्रबोधक लेवल–2, अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2
शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III)	पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक, शा.शिक्षक (ग्रेड–III)

नोट–उपरोक्त के कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पद ही हमेशा निर्धारित एवं रिक्त होंगे। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाला कार्मिक कॉलम संख्या 01 के स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित/स्थानान्तरित होगा। कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यग्रहण करते ही विद्यालय का कॉलम संख्या 01 के अनुसार स्वीकृत पद कार्मिक के मूल पद कॉलम संख्या 02 के अनुसार Auto Shift होगा तथा कॉलम संख्या 02 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यमुक्त होते ही विद्यालय का स्वीकृत पद पुनः Auto Shift होकर कॉलम संख्या 01 के अनुसार आधार (BASE) स्वीकृत पदानुसार ही रिक्त रहेगा।

5. उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा –

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि. अध्यापक के पद का विषय	कक्षा 6 से 8 के 105 तक के नामांकन वाल विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड–III) के विषय (03 अध्यापक लेवल –2 आवंटित किये जाने है)	कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल–2 अध्यापक (ग्रेड–III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का कम।
1	2	3	4
1.	सामाजिक विज्ञान	अंग्रेजी, गणित/विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. सामाजिक विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. गणित/विज्ञान iv. अंग्रेजी
2.	गणित	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. गणित/विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
3.	अंग्रेजी	गणित/विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी/तृतीय भाषा	i. अंग्रेजी ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. गणित/विज्ञान

क्र. सं.	प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरि॰ अध्यापक के पद का विषय	कक्षा 6 से 8 के105 तक के नामांकन वाल विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक (ग्रेड–III) के विषय (03 अध्यापक लेवल –2 आवंटित किये जाने है)	कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में दिये जाने वाले लेवल–2 अध्यापक (ग्रेड–III) के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम (कक्षा 6 से 8 में 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाना है) एवं साथ ही प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किये जाने के विषय का कम।
1	2	3	4
4.	विज्ञान	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी / तृतीय भाषा	i. गणित / विज्ञान ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी
5.	हिन्दी	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी / तृतीय भाषा ii. हिन्दी (यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा) iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
6.	तृतीय भाषा	अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. हिन्दी ii. तृतीय भाषा iii. सामाजिक विज्ञान iv. अंग्रेजी v. गणित / विज्ञान
7.	सामान्य विषय	हिन्दी / तृतीय भाषा / अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित / विज्ञान	i. अंग्रेजी (यदि प्रथम तीन में हिन्दी / तृतीय भाषा ली गयी है अन्यथा हिन्दी) ii. तृतीय भाषा (यदि प्रथम चार में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा ली गई है अन्यथा हिन्दी) iii. सामाजिक विज्ञान iv. हिन्दी v. गणित / विज्ञान

तृतीय श्रेणी लेवल–2 विषय हिन्दी / तृतीय भाषा (संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / गुजराती / सिंधी) के पद निर्धारण / आवंटन में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी –

1. जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–हिन्दी निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय हिन्दी का पद रेण्डमली निर्धारित किया जावेगा।

   नोटः– यह विशेष ध्यान रखा जाना है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय–हिन्दी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है, जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है।

2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों (जिले के कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे (50 प्रतिशत) विद्यालयों) में से वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष जिन विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में केवल एक तृतीय भाषा संचालित है उनविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय तृतीय भाषा (**विषय–संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / सिंधी / गुजराती**) के पद का विषय विद्यालय में संचालित तृतीय भाषा स्वीकृत किया जायेगा।

3. बिन्दु संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त शेष जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8 में एक से अधिक तृतीय भाषा संचालित) में से उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 (3) में कम किए हुए से शेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) विषय–संबंधित तृतीय भाषा निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 मेंएक से अधिक तृतीय भाषा संचालित है ऐसे विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय– तृतीय भाषा (**विषय–संस्कृत/उर्दू /पंजाबी/ सिंधी /गुजराती)** के पद का विषय विद्यालय में जिस तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है उस तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा। यदि तृतीय भाषा के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या समान है रेण्डमली तृतीय भाषा का विषय स्वीकृत किया जायेगा।

4. **प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावें।**

6. अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल 1 के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

a) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जावेगा।

b) प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 अथवा उससे अधिक होने पर संस्थाप्रधान (हैड टीचर) के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) का पद देय होगा।अन्य प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक संचालित) में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।
(नोटः– विद्यालय में अध्यापक/प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत कार्मिक द्वारा सम्पादित कराया जावेगा।)

c) जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक यथा शिक्षाकर्मी (वरिष्ठ एवं अतिवरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित), पैराटीचर (महिला, राजीव गांधी, वैकल्पिक इत्यादि), ट्रेनी टीचर कार्यरत है, वहां अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को **बिन्दु संख्या 11 के अनुसार** अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

d) जिन विद्यालयों में विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक कार्यरत/नियुक्त हैं, वहाँ अध्यापक (ग्रेड–III)लेवल 1 के पद के स्थान पर विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक का पद दिया जावेगा। यदि विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक (ग्रेड–III) लेवल–1 के पदों की संख्या से ज्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त विशेष शिक्षक लेवल–1/प्रबोधक लेवल–1/कला शिक्षक को **बिन्दु संख्या 11 के अनुसार** अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित अन्य निकटस्थ विद्यालय में स्थानान्तरित किया जावेगा।

7. वर्ष 2016–17 में पदों के निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के विधालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक (ग्रेड–III) के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक (ग्रेड–III) के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पद का आवंटन निम्नानुसार किया जावेगाः–

a) इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।

b) उपरोक्त बिन्दु संख्या 7(a) के पश्चात्शेष आवश्यक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पदों का आवंटन अध्यापक (ग्रेड–III) के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जावेगा।

c) 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III का पद आवंटित किया जावेगा।

d) यदि जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) की संख्या जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III,प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) एवं पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) से अधिक है तो 105 एवं 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के घटते क्रम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III का पद आवंटित किया जावेगा।

e) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटित जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के स्थान पर प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) का पद दिया जावेगा।

f) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पर पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) अथवा संविदा पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) को बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष (Surplus) किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III) की अनुपलब्धता वाले बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटितउच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित/स्थानान्तरित किया जावेगा।

g) बिन्दु संख्या 7(c) एवं 7(d) द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III पद आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम नामांकन वाले उप्रावि में पूर्ण कालिक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं किया जावेगा, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

8. **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन**

a) द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत) द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ–साथ कक्षा 6 से 8 में अपने **संबंधित विषय का** शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में **अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2/ लेवल–1** पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

b) अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवायेंगे। **द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2** पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड–III (लेवल 1) के अध्यापकों से उनके पास

अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकतानुसार कक्षा 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

c) अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक तौर पर कक्षा 6 से 8 में अपने **संबंधित विषय का ही** शिक्षण कार्य करवाया जावेगा परन्तु विद्यालय में **द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 / अध्यापक ग्रेड–।।।**

d) **लेवल–1** का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड–।।। (लेवल 2) के अध्यापकों से आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

e) शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जावेगा।

f) सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकतानुसार कक्षा 1 से 5/8 में शिक्षण कार्य करेंगे।

g) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जायेगा परन्तु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित है तो वही उस विद्यालय में कला शिक्षा का शिक्षण करवाएगा।

h) जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं दिया जायेगा अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव शिक्षण का कार्य किया जायेगा।''

9. **मानदण्डानुसार प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक/विषयवार निर्धारण संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा। उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदण्डों के अनुसार जिले में पदों के पुनर्निर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही करेगी :–**

1.	संबंधित संयुक्त निदेशक –	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी –	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा –	सदस्य सचिव
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा –	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक कार्यालय के संस्थापन अनुभाग प्रभारी अधिकारी –	सदस्य
6.	जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी –	सदस्य
7.	जिले के समस्त अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)–	सदस्य

10. बिन्दु संख्या 9 में वर्णित समिति की अभिशंषा के आधार पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जाएंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

11. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विषयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात वर्तमान विद्यालय में स्वीकृत पदों पर विभागीय नियमानुसार समायोजन पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकत्तम ठहराव वाले अध्यापक/कार्मिक को **मूल पद एवं विषयवार** अधिशेष (Surplus) घोषित किया जाकर अन्य विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार निम्न क्रमानुसार काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित किया जावेगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:–

a) द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक)के पद पर ही पदस्थापित किया जावेगा।

b) संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी , पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक), कला शिक्षकों को उनके स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट– संविदा पर कार्यरत कार्मिकों (ट्रेनी टीचर, शिक्षा कर्मी, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, अन्य संविदा कार्मिक) की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।)

c) विशेष शिक्षक लेवल 1, विशेष शिक्षक लेवल 2 सामान्य विषय, प्रबोधक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 2 सामान्य विषय, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 एवं अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामान्य विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को केवल अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के स्वीकृत रिक्त पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही पदस्थापित किया जावेगा।
(नोट–लेवल 1 एवं लेवल 2 सामान्य विषय के कार्मिकों की काउंसलिंग हेतु मिश्रित वरीयता सूची तैयार की जायेगी। विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम क्रमशः विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। रहेगा)

d) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेज़ी विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

e) विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को उनके **मूल** विषय के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) **पर ही** केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

f) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) द्वारा **संबंधित विषय के स्वीकृत पदों पर ही** इन्हें पदस्थापित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के पद के (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

g) पूर्व में की गई नियुक्तियों में सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e) एवं 11 (f) द्वारा इन्हें पदस्थापित /समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 1 के पद (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

h) पूर्व में की गई नियुक्तियों में हिन्दी एवं संस्कृत विषय के विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में क्रमशः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 11 (e), 11 (f) एवं 11 (g) द्वारा इन्हें पदस्थापित/समायोजित किये जाने के बाद अधिशेष रहे विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल 2 के हिन्दी एवं संस्कृत विषय के शैक्षणिक कार्मिकों को एक–दूसरे (हिन्दी को संस्कृत पर एवं संस्कृत को हिन्दी पर) के **मूल विषयों** के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) के विरूद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

नोटः –बिन्दु संख्या 11(e),11(f),11(g) एवं 11(h) की क्रियान्विति के लिए लेवल–2 विषय सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के कार्मिकों की मिश्रित वरीयता सूची बिन्दु संख्या 17(ii)के अनुसार तैयार कर काउंसलिंग आयोजित की जायेगी।

i) पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) को शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के स्वीकृत पदों (बिन्दु संख्या 4 में वर्णित तालिका के अनुसार) पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावेगा।

(नोटः–पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा) एवं प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरियता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का क्रम क्रमशः पैराटीचर (शारीरिक शिक्षा), प्रबोधक (शारीरिक शिक्षा) रहेगा।

j) शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III को प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पदों पर ही पदस्थापित किया जावेगा ।

k) विशेष शिक्षकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 28.3.2018 के अनुसार कम से कम 04 CWSN विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में ही तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षकों को पदस्थापित/समायोजित किया जावेगा।

l) अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) के संबंधित विषय के संबंधित मण्डल में ही प्रारम्भिक शिक्षा में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त पदों से अधिक अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों (प्रधानाध्यापकों) को संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग को आगामी पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया जावेगा। ऐसे अधिशेष वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक) जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम की अवधि शेष है, उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा एवं वे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो संस्था प्रधान के रूप में पातेय वेतन पर कार्यरत है, विभागीय प्रक्रियानुसार एवं नियमानुसार उनके अधिशेष होने पर उनका पदस्थापन भी काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों पर किया जावेगा।

m) अधिशेष (Surplus) अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरियता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावेगा ।

क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के क्रमानुसार)

ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में मानदण्डानुसार समायोजन नहीं होने पर उसी पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर। (बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के क्रमानुसार)

ग) क और ख के अनुसार समायोजन नहीं होने पर जिले की अन्य पंचायत समिति में स्थित विद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पद पर।(बिन्दु संख्या 11 (a) से 11(l) के क्रमानुसार)

घ) क, ख और ग के अनुसार समायोजन नहीं होने पर उसी संभाग के अन्य जिले में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद पर। **(केवल बिन्दु संख्या 11 (a) के लिए लागू है)**

नोट :

1. **जिले की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिक काउन्सलिंग के समय जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के क्रमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी समय अपने ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयनबिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु करेगा। यदि अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों में बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के क्रमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं रहता है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद का चयन बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l)के क्रमानुसार अपने समायोजन/पदस्थापन हेतु कर सकेगा।**
2. **संबंधित पद–लेवल एवं विषय के संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक एवं अध्यापक ग्रेड–III की काउंसलिंग के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार की**

जायेगी तथा काउंसलिंग आयोजित कराने का कम कमशः संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक ग्रेड–।।। रहेगा।

3. काउंसलिंग आयोजित कराने का कम बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (a) से (l) के कमानुसार रहेगा।

4. शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III को काउंसलिंग प्रकिया में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित कमानुसार पदस्थापित किया जावेगा।

n) अन्य किसी तरह से अधिशेष कार्मिकों को अन्य विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित काउंसलिंग प्रकिया द्वारा ही समायोजित करते हुए पदस्थापित किया जावेगा।

12. उक्तानुसार विद्यालयवार स्वीकृत पदों के निर्धारण एवं अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जायेगी। इन अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।

13. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सृजित/रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए **प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तितएवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान पदस्थापित जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से पदस्थापन/समायोजन** की कार्यवाही हेतु शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के आदेश कमांकः प. 17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक 08.05.2016 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये है, जिसके तहत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत पंचायतीराज सेटअप के वे शिक्षक/कार्मिक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है, पंचायतीराज विभाग में वापस आ जावेंगे। इन सभी कार्मिकों का भी पंचायती राज विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर समायोजन/पदस्थापन किया जायेगा।

14. इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक/कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्तानुसार रिक्त पदों पर किया जायेगा।

15. बिन्दु संख्या –12, 13 व 14 के अनुसार उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन/समायोजन प्रारंभिक शिक्षा/पंचायतीराज विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर जिला स्तर पर काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

16. काउन्सलिंग की प्रकिया सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कमेटी को अधिकृत किया जाता हैः–

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद–	अध्यक्ष
2.	जिला कलक्टर द्वारा नामित (ADM) स्तर का अधिकारी–	सदस्य
3.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी–	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा–	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा –	सदस्य सचिव

17. उपरोक्त समिति निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के तहत अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन/समायोजन के प्रस्ताव काउन्सलिंग प्रकिया के माध्यम से तैयार करेगीः–

(i) अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन की कार्यवाही प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 11 के अनुसार संवर्गवार/मूल पद–विषयवार काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा अध्यापकों/शैक्षणिक कर्मियों की वरीयता एवं रिक्तियों को शाला दर्पण पोर्टल से जनरेट करके प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाकर, वरीयता सूची में निर्धारित क्रमानुसार काउन्सलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा। वरियता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:–

a) 40 प्रतिशित से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

b) विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

c) महिला अभ्यर्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

d) शेष अभ्यार्थी (वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

(iii) कार्मिक द्वारा (परामर्श कैम्प में) चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर, वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(iv) जो अध्यापक लेवल–I एवं लेवल–II (विषयवार) Counselling (परामर्श प्रक्रिया) में अनुपस्थिति रहेंगे, उनके Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के प्रस्तावित आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जायेंगे।

(v) **पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।**

(vi) काउंसलिंग (परामर्श प्रक्रिया) शुरू करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details Where about) की सही जांच कर काउंसलिंग (परामर्श) प्रक्रिया शुरू की जावें, जिससे त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।

(vii) किसी भी परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा।

(viii) यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पदस्थापन/समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात कोई भी विद्यालय (शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोडकर) शिक्षक विहिन नहीं हो। विद्यालय के सभी अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों का विभागीय नियमानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजन/पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के कनिष्ठतम कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन/पदस्थापन/नव पदस्थापन/स्थानांतरण से कार्यग्रहण नहीं करें।

(ix) ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (Merge)/क्रमोन्नति माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन के पश्चात शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन प्रा. शि./पंचायतराज विभाग के विद्यालयों में किया जावेगा।

18. काउन्सलिंग के पश्चात उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों/कर्मियों के पदस्थापन/समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमादन करवाकर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. द्वारा जारी किये जायेंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

19. द्वितीय श्रेणी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) की काउंसलिंग संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा बिन्दु संख्या11 के उपबिन्दु (a)के अनुसार बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (m) में वर्णित क्रमानुसार आयोजित करके काउंसलिंग के दिन ही पदस्थापन/समायोजन के आदेश संयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

20. बिन्दु संख्या 11 के उपबिन्दु (j) के अनुसार काउंसलिग द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित/समायोजित अधिशेष शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III के पदस्थापन/समायोजन के आदेश **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि.** द्वारा जारी किये जायेंगे।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन की कार्यवाही, निर्धारित समय सीमा में कलेण्डर जारी कर, कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव
प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
7. उपायुक्त (शाला दर्पण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त पीईईओ।
13. समस्त संस्था प्रधान।
14. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
शासन सहायक सचिव

(1)

परिशिष्ट - 1

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक– प 16(3) शिक्षा–2 / 2011 जयपुर, दिनांक : 16.10.2015

1. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

2. निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

विषय :–वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं अन्य छह विषय यथा– गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा–निर्देशों से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.09.2015 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक 29.09.2015 को प्रस्तुत की गई अभिशंषा के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2015 को विलोपित करते हुये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत हैड टीचर के पदों को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा) में आवंटित करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के कुल पदों को पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों के अनुपात में विभाजित कर दिया जावें।
2. प्रारम्भिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा में हैड टीचर के वर्ष 2008-09 से वर्षवार कुल पदों के आवंटन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:

a) वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार उपलब्ध पात्र आशार्थियों की संख्या में से माध्यमिक शिक्षा के उस विषय के पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या घटाई जावे।

b) बिन्दु संख्या a) से प्राप्त आशार्थियों के योग के आधार पर विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसार प्राप्त किया जावे –

$$\text{विषयवार पात्रता में उपलब्ध आशार्थियों का प्रतिशत} = \frac{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार विषयवार पात्र आशार्थियों की संख्या}}{\text{बिन्दु संख्या a) के अनुसार समस्त सातों विषयों हेतु पात्र आशार्थियों की संख्याओं का योग}} \times 100$$

c) उपलब्ध प्रधानाध्यापक–उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं हैडटीचर के पदों को उक्त प्रतिशत के आधार पर विषयवार आवंटित किया जावे।

d) बिन्दु संख्या c) से प्राप्त पदों को विषयवार स्वीकृत पदों में जोड़कर उस विषय के कुल पदों की संख्या की गणना की जावे।

e) बिन्दु संख्या d) के अनुसार कुल पदों की गणना के पश्चात नियमानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों की संख्या की गणना की जावे।

f) यदि अन्तिम रिक्त पदों में से पदोन्नति अभ्यांश के पद ऋणात्मक प्राप्त होते हैं तो उस विषय की पदोन्नति शून्य की जावे।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सत्र 2008–2009 से वरिष्ठ अध्यापक सामान्य एवं वरिष्ठ अध्यापक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा के पदों की रिव्यू/नियमित डीपीसी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. रक्षित पत्रावली।

शासकीय शासन सचिव
[illegible]

परिशिष्ट–2

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण (संभागवार) वर्तमान विद्यालय संख्या के अनुसार

क्र. सं.	संभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जयपुर	2866	85	176	177	551	1165	310	402	2866
2	अजमेर	3223	17	129	162	643	1354	287	631	3223
3	उदयपुर	3419	0	0	0	798	1797	0	824	3419
4	कोटा	1867	17	56	49	475	607	209	455	1868
5	जोधपुर	2653	0	99	137	416	1479	292	230	2653
6	बीकानेर	1645	65	139	95	247	785	73	241	1645
7	चुरू	1887	82	114	171	355	798	81	287	1888
8	भरतपुर	1679	24	30	67	512	509	293	244	1679
9	पाली	1586	0	54	70	243	704	120	395	1586
10	योग	20825	290	797	928	4240	9198	1665	3709	20827

परिशिष्ट–3

हैडटीचर/संस्था प्रधान–उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का सात विषयों में वितरण

(जिलेवार)

क्र. सं.	जिलों का नाम	माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के हैडटीचर/संस्था प्रधान के कार्य हेतु कुल आवश्यक वरिष्ठ अध्यापक के पद	गणित	विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर	550	21	45	31	81	256	24	92	550
2	गंगानगर	616	25	53	36	94	300	28	80	616
3	हनुमानगढ	479	19	41	28	72	229	21	69	479
4	बारां	414	4	12	11	104	133	46	104	414
5	बूंदी	390	3	12	10	97	124	43	101	390
6	झालावाड़	631	6	19	16	158	202	70	160	631
7	कोटा	433	4	14	12	115	147	51	90	433
8	भरतपुर	620	10	12	27	208	207	119	37	620
9	धोलपुर	320	5	6	13	100	99	57	40	320
10	करौली	412	5	7	15	114	113	65	93	412
11	सवाईमाधोपुर	327	4	5	12	90	90	52	74	327
12	जालौर	577	0	21	28	96	278	48	106	577
13	पाली	730	0	23	30	105	302	52	218	730
14	सिरोही	278	0	9	12	42	123	21	71	278
15	बांसवाड़ा	499	0	0	0	112	251	0	136	499
16	चित्तौड़गढ़	621	0	0	0	146	329	0	146	621
17	डूंगरपुर	484	0	0	0	117	262	0	105	484
18	प्रतापगढ़	341	0	0	0	81	181	0	79	341
19	राजसंमद	580	0	0	0	135	305	0	140	580
20	उदयपुर	894	0	0	0	208	468	0	218	894
21	चूरू	565	25	35	52	108	243	25	77	565
22	झुंझुनू	594	23	32	48	100	224	23	144	594
23	सीकर	729	34	47	71	147	331	33	66	729
24	अलवर	1117	34	70	70	219	462	123	139	1117
25	दौसा	459	12	24	24	76	160	43	120	459
26	जयपुर	1290	40	82	82	256	542	145	143	1290
27	बाड़मेर	1378	0	53	73	221	787	155	89	1378
28	जैसलमेर	304	0	12	16	49	173	34	20	304
29	जोधपुर	971	0	35	48	146	519	102	121	971
30	अजमेर	739	4	32	40	158	332	70	103	739
31	भीलवाड़ा	924	5	39	49	194	408	86	143	924
32	नागौर	1040	5	40	51	201	424	90	229	1040
33	टौंक	519	2	18	23	90	190	40	156	519
34	योग	20825	290	798	928	4240	9194	1666	3709	20825

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

*****

28 MAY 2019

क्रमांकः प॰ 5(8)प्राशि/2016 जयपुर, दिनांकः 28 MAY 2019

1. **आयुक्त सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।**
2. **आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।**
3. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।**
4. **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर।**

विषयः शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.2019 के द्वारा शैक्षणिक स्टॉफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 (4) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि **प्रत्येक उत्कृष्ट उप्रावि में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जावेगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उप्रावि में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जावेगी अर्थात् इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।**

यह विभाग की अस्थाई व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय दिशा–निर्देशों में स्थाई रिक्ति नहीं मानी जावेगी। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव
प्राशि एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग ।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।
7. उपायुक्त (शाला दर्पण), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग ।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सहायक प्रभारी, शालादर्पण, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. समस्त पीईईओ।
13. समस्त संस्था प्रधान।
14. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
शासन सहायक सचिव